केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

शाखा: मुरादनगर, गाजियाबाद
ई-मेल: cb19313@canarabank.com

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।

हम केनरा बैंक, अपनी शाखा/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत निम्नांकित तिथि को मांग सूचना जारी किए हैं। विषय यह है कि आपके द्वारा मूलधन, ब्याज आदि की किस्त के भुगतान में चूक हुई है। बकाया नीचे दिया गया है। आगे निम्नांकित उधारकर्ता/ मालिक/ गारंटीकर्ता को जारी की गई मांग सूचना डिलीवर कर दी गयी है। आपको एतद् द्वारा इस मांग सूचना के प्रकाशित होने से 60 दिन की अवधि के भीतर अतः ब्याज सहित उपर्युक्त राशि केनरा बैंक को भुगतान करने के लिए आदेशित किया जाता है। ऐसा न करने पर केनरा बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता/ मालिक / बंधककर्ता/ गारंटीकर्ता की प्रतिभूत आस्तियों को कब्जा करने सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रतिभूत आस्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत निम्नांकित किसी भी प्रतिभूति आस्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा माध्यम से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

ऋणी: श्री आशीष कुमार जायसवाल पुत्र श्री सुभाष चंद जायसवाल, एम 142, सेक्टर 23, संजय नगर, गाजियाबाद - 201002, श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री आशीष कुमार जायसवाल, एम 142, सेक्टर 23, संजय नगर गाजियाबाद - 201002, श्री आशीष कुमार जायसवाल पुत्र श्री सुभाष चंद जायसवाल, मकान नं. - 17, सेक्टर 23, संजय नगर, गाजियाबाद - 201002, श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री आशीष कुमार जायसवाल, मकान नं. 17, सेक्टर 23, संजय नगर, गाजियाबाद - 201002, श्री आशीष कुमार जायसवाल पुत्र श्री सुभाष चंद जायसवाल, प्लॉट नं. 460, राधे श्याम विहार, फेज -5, मोहिउद्दीनपुर मुरादनगर, गाजियाबाद - 201206, श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री आशीष कुमार जायसवाल मुरादनगर, गाजियाबाद - 201206, श्री राम आश्रय प्रसाद पुत्र श्री राम किशुन प्रसाद, सी-772, नंद ग्राम, गाजियाबाद- 201003, श्री रामाश्रय प्रसाद पुत्र श्री राम किशुन प्रसाद, एम 142, सेक्टर 23, संजय नगर गाजियाबाद - 201002.

कुल देय राशि रु. 15,34,489.37 (रुपये पन्द्रह लाख चौंतिस हजार चार सौ नवासी और सैंतिस पैसे मात्र) दिनांक 09.02.2026 तक तथा आगे का ब्याज और आकस्मिक व्यय और लागत प्रभावी, एनपीए दिनांक 30.08.2021, सम्पत्ति का विवरण: प्लॉट नं. 460 का साम्यिक बंधक, खसरा नं. 44 एमआई, गाँव- मोहिउद्दीनपुर हिसाली- राधेश्याम विहार, फेज 5 मुरादनगर, परगना- जलालाबाद, तहसील- मोदीनगर, जिला- गाजियाबाद, क्षेत्रफल 107.50 वर्ग यार्डस यानी 89.88 वर्ग मीटर, मालिक श्री आशीष कुमार जायसवाल पुत्र श्री सुभाष चंद जायसवाल और श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री आशीष कुमार जायसवाल, चौहद्दी: पूर्व- अन्य का प्लॉट, पश्चिम: प्लॉट नं. 459, उत्तर: 30 फीट चौड़ा रोड़, दक्षिण: प्लॉट नं. 452.

Security Interest ID- 400056556609 (Cersai).

नोटिस दिनांक: 13.02.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा: ग्रेटर नोएडा
बी-5, ओम टावर, कमर्शियल बेल्ट, अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा (उ. प्र.) 201308 फोन: 0120-2321762, 2321763, 2320916 ई-मेल: gnoida@bankofbaroda.com

परिशिष्ट IV [नियम-8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, बी-5, ओम टावर, कमर्शियल बेल्ट, अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा (उ. प्र.) 201308 के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 08-12-2025 जारी कर ऋणधारको मैसर्स जानू इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्रीमती सरोज सिंह, जी5, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदराबाद, जिला-बुलंदशहर, उ.प्र.-203206, प्रोपराइटर का निवासः एच नं. एफ-560, डेल्टा-1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ. प्र.-20130) और जमानतदार श्री महातिम सिंह, एच नं. एफ-560, डेल्टा-1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ. प्र.-201306 (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से **"ऋणधारक"** कहा गया है) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित राशि 30-11-2025 तक **रु. 46,35,396.47 (छियालीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ छियानवे रुपये और सैंतालीस पैसे मात्र)** + भविष्य का ब्याज + अन्य शुल्क - क्रेडिट, यदि कोई हो, वापस लौटने का निर्देश दिया थो ऋणधारक/जमानतदार इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 21 फरवरी, 2026 को उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है

विशेष रूप से ऋणधारकों/जमानतदार और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 30-11-2025 तक **रु. 46,35,396.47 (छियालीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ छियानवे रुपये और सैंतालीस पैसे मात्र)** + भविष्य का ब्याज + अन्य शुल्क झ क्रेडिट, यदि कोई हो, और उस पर लगने वाले खर्चों आदि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी-5, ओम टावर, कमर्शियल बेल्ट, अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा (उ. प्र.) 201308 के चार्ज के अधीन होगो

ऋणधारक/जमानतदार का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

अचल संपत्ति का विवरण

श्रीमती सरोज सिंह पत्नी श्री महातिम सिंह के नाम पर दर्ज संपत्ति, औद्योगिक प्लॉट नं.-जी-5, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम गोपालपुर, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर (उ. प्र.), जिसका क्षेत्रफल लगभग 450 वर्ग मी. है, का सारा हिस्सा और भागे संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: **पूर्व:** प्लॉट नं. जी-6, **पश्चिम:** प्लॉट नंबर जी-4, **उत्तर:** प्लॉट नं.एफ-61, **दक्षिण:** 18 मीटर चौड़ी सड़क नं. 31

दिनांक:21.02.2026, स्थान: ग्रेटर नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रपत्र नं. 14
[विनियम -33(2) देखें.]
वसूली अधिकारी कार्यालय-I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी/262/2025 — **13.01.2026**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
एम.आर. चेन्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

सेवा में,

(सीडी 1) एम.आर. चेन्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, इसके अलावा : पंजीकृत कार्यालय का पता: 1139, द्वितीय मंजिल, कुचा महाजनी, चांदनी चौक, दिल्ली-110006,

इसके अलावा: 1245, द्वितीय मंजिल, कुचा महाजनी, चांदनी चौक, दिल्ली-110006

(सीडी 2) श्री मुनि राम वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दास वर्मा, अपार्टमेंट संख्या 501, पांचवीं मंजिल, डायमंड कोर्ट बिल्डिंग, ब्लॉक जी, एस्सेल टावर, एम.जी. रोड, गुरुग्राम, हरियाणा

(सीडी 3) श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री मुनि राम वर्मा, अपार्टमेंट संख्या 501, पांचवीं मंजिल, डायमंड कोर्ट बिल्डिंग, ब्लॉक जी, एस्सेल टावर, एम.जी. रोड, गुरुग्राम, हरियाणा

यह सूचित किया जाता है कि **पीठासीन अधिकारी**, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली **(डीआरटी 2)** द्वारा **ओए/452/2015** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **रू. 39,68,59,034.37 (उनतालिस करोड़ अड़सठ लाख उनसठ हजार चौंतीस रूपये और सैंतीस पैसे मात्र)** की राशि, बकाया और भविष्य के ब्याज सहित **01/10/2015** से वसूली तक **@13.35%** साधारण सालाना ब्याज और **रूपयें 150000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र)** की लागत आपके विरुद्ध देय हो गई है संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूरी तरह से सीमित हो गई है

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **02.03.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 13.01.2026 को दिया गया।

हस्ता/-
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

कब्जा सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालय: एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098

परिशिष्ट IV (नियम-8(1)) कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित उधारकर्ता(ओं) को एक मांग नोटिस जारी किया था जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

तत्पश्चात, इसमें उल्लिखित समनुदेशक ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, स्वयं के रूप में या नीचे उल्लिखित ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, समनुदेशित कर दिया है (जिसे इसके बाद "ईएआरसी" के रूप में संदर्भित किया गया है)। तदनुसार, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत निष्पादित समनुदेशन समझौतों के अनुसरण में, ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया है। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में, समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वत्व और हित, अंतर्निहित सुरक्षा हितों गारंटी और गिरवी के साथ अब ईएआरसी में निहित हो गए हैं और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित तिथि को ले लिया है।

क्र. सं.	असाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	राशि और मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	कब्जे का प्रकार
1.	एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	EARC Trust SC - 482	1536907	उधारकर्ता सुनील कुमार और सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता: गीता सुनील, जगमोहन सिंह, जगपाल सिंह और सुभाष चरन सिंह	15.06.2023 और रु. 16,30,242.39 (रु. सोलह लाख तीस हजार दो सौ ब्यालीस और पैसे उनतालीस मात्र)	23.02.2026	सांकेतिक कब्जा

संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग गज का प्लॉट प्लॉट नं. जी- 13/ए खसरा नं 502/1, दीपक विहार, गांव खोरा कॉलोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी. सीमाबद्ध: पूर्व - श्री ऐजाज अली खान का प्लॉट, पश्चिम - 10' चौडी गली, दक्षिण - 25' चौडी सडक, उत्तर - अफरोज अहमद खान का प्लॉट

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि और उस पर भावी ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक 25.02.2026 — **कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**

Edelweiss Asset Reconstruction

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

शाखा: 2781/1, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006 (क0114)
फोन: 011-45118978, ईमेल: d0114@psb.bank.in

दिनांक: 24.02.2026

1. श्री समीउद्दीन आलम पुत्र श्री अब्दुल बारीक
निवासी ए-3/1130, साउथ गमरी, गढ़ी मेंडू, उत्तर पूर्वी दिल्ली-110053
अन्य पता: फ्लैट संख्या एस-2, एलआईजी, दूसरी मंजिल, छत का अधिकार सहित, प्लॉट संख्या बी-1/78, डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन-**II**, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005
2. श्रीमती तरन्नुम नाज पत्नी श्री समीउद्दीन आलम
निवासी: ए-3/1130, साउथ गमरी, गढ़ी मेंडू, उत्तर पूर्वी दिल्ली-110053
अन्य पता: फ्लैट संख्या एस-2, एलआईजी, दूसरी मंजिल, छत का अधिकार सहित, प्लॉट संख्या बी-1/78, डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन-**II**, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005
3. श्री किरशन पाल पुत्र श्री केवल सिंह
निवासी: बी-1/142, तीसरी मंजिल, डीएलएफ कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005

प्रिय महोदय/महोदया

सन्दर्भ : खाता संख्या 01141200000276, आवास ऋण शा.का.कश्मीरी गेट में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियां के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 13(8) के तहत आपको दिए गए अधिकार के तहत मोचन के लिए नोटिस।

जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में सुरक्षा के रूप में पेश की गई सुरक्षित परिसंपत्ति में सुरक्षा हित के प्रवर्तन के उपाय के रूप में 05-10-2023 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है।

इसके बाद, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के तहत आगे की कार्रवाई करते हुए, 13-12-2023 को सुरक्षित परिसंपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने, प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त उधारकर्ता और गारंटरों से बैंक को देय ऋणों की वसूली के लिए ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों को विक्रय करने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय (अर्थात 30 दिन) के संबंध में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13(8) के तहत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से या सुरक्षित संपत्ति के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि से उद्धरण या निविदा आमंत्रित करने की तारीख से समाप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस का विवरण निम्नानुसार है:

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस,

ई-नीलामी तिथि और समय: 27-03-2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 26-03-2026 को पुर्वा. 11.59 बजे तक
निरीक्षण की तिथि: 20-03-2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक

उधारकर्ता और गारंटरों का नाम:
श्री समीउद्दीन आलम (उधारकर्ता) और श्रीमती तरन्नुम नाज (गारंटर) और श्री किरशन पाल (गारंटर)

मांग नोटिस दिनांक एवं राशि खाता विवरण: 01141200000276 के लिए 05-10-2023 तक रु.12,23,132.29

24-02-2026 तक कुल बकाया: 16,10,575.25 रुपये

संपत्तियों का विवरण		एमआरपी
अचल संपत्ति, अर्थात् फ्लैट संख्या एस-2, दूसरी मंजिल, बाएँ हाथ की छत सहित, प्लॉट संख्या बी -1/78, डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन-**II**, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005, पंजीकरण संख्या 10311, बुक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 10744, पृष्ठ संख्या 371 से 428 तक, दिनांक 17-12-2014		रु.16,15,000/- (केवल सोलह लाख पंद्रह हजार रुपये)
पूर्व - सड़क	पश्चिम - प्लॉट संख्या बी -1/101	
उत्तर-प्लॉट संख्या बी -1/77	दक्षिण - प्लॉट संख्या बी -1/79	

दिनांक: 24.02.2026 स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एवं सिंध बैंक

Indian Overseas Bank
Pitampura Branch (Br Code:1598)
B-155 Lok vihar, Pitampura, New Delhi 110034
Tel.: 8925951598 | e-mail:iob1598@iob.in

दिनांक: 24.02.2026

गैर-कृषि स्वर्ण ऋण के लिए अंतिम अनुस्मारक सह नीलामी पत्र

श्री अशोक कुमार, डब्ल्यूजेड-6, गली नंबर 1, श्री नगर, शकूरपुर बस्ती, नई दिल्ली-110034

महोदय/महोदया,

विषय: रु. 5,67,000/- के लिए आभूषण ऋण खाता संख्या 159803462000132 दिनांक 22.11.2024 और रु.5,50,000/- के लिए खाता संख्या 159803462000129 दिनांक 13.11.2024

बैंक द्वारा आपको स्वर्ण ऋण के रूप में 5,67,000/- रुपये और 5,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

इस ऋण सुविधा के प्रतिफल/सुरक्षा के रूप में आपने निम्नलिखित दस्तावेज निष्पादित किए हैं:

- फॉर्म 89ई दिनांक 22.11.2024 और 13.11.2024
- दिनांक 31.01.2026 के हमारे पिछले पत्र के क्रम में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि निम्नलिखित आभूषण ऋण लंबे समय से बकाया थे और 10.02.2026 को निष्पादित (एनपीए) हो गए। विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण:	-1	-2
ऋण संख्या	159803462000129	159803462000132
ऋणकर्ता का नाम	अशोक कुमार	अशोक कुमार
अग्रिम राशि देने की तिथि	13.11.2024	22.11.2024
मूल ऋण राशि	5,50,000/- रुपये	5,67,000/- रुपये
वर्तमान बकाया	6,05,053/- रुपये	6,25,298/- रुपये
वसूली योग्य राशि लेकिन प्राप्त नहीं हुई	6,11,590.93/- रुपये	रु. 6,29,233.10/- रुपये
सकल वजन	117.12 ग्राम	125.71 ग्राम
शुद्ध वजन	111.70 ग्राम	115.21 ग्राम
शुद्धता	22 कैरेट/20 कैरेट	22 कैरेट
हॉलमार्क युक्त	हाँ	हाँ
देय तिथि से विलंबित	13.11.2025	22.11.2025
सूचना पत्र	06.11.2025	06.11.2025
पहला अनुस्मारक	13.11.2025 - 18.11.2025	24.11.2025
दूसरा अनुस्मारक	28.11.2025	17.12.2025
अंतिम अनुस्मारक	06.01.2026	06.01.2026
एनपीए तिथि	10.02.2026	10.02.2026

आपने दिनांक 22.11.2024 और दिनांक 13.11.2024 के अपने पत्रों द्वारा उक्त ऋण सुविधा के अंतर्गत अपनी देनदारी स्वीकार कर ली है। अब बैंक को ऋण सुविधा के अंतर्गत आपके द्वारा क्रमशः 6,21,288.00/- रुपये और 6,01,160.00/- रुपये (24.02.2026 तक ब्याज सहित) देय हैं। बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद, आप उक्त बकाया राशि और आज तक देय ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं और आपने इसकी अवहेलना की है। हम आपको एतद्वारा बैंक को उक्त राशि 5,67,000/- रुपये और 5,50,000/-रुपये के साथ ऋण पर 8% की दर से तिमाही/छमाही चक्रवृद्धि ब्याज सहित ब्याज, जो 22.11.2024 से 13.11.2024 तक लागू होगा, का भुगतान इस सूचना की प्राप्ति तिथि से 7 दिनों के भीतर करने का अंतिम आह्वान करते हैं। भुगतान न करने पर बैंक आपके द्वारा गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी करेगा और नीलामी से प्राप्त राशि को आपके ऋण खाते में समायोजित करेगा।

Branch Manager

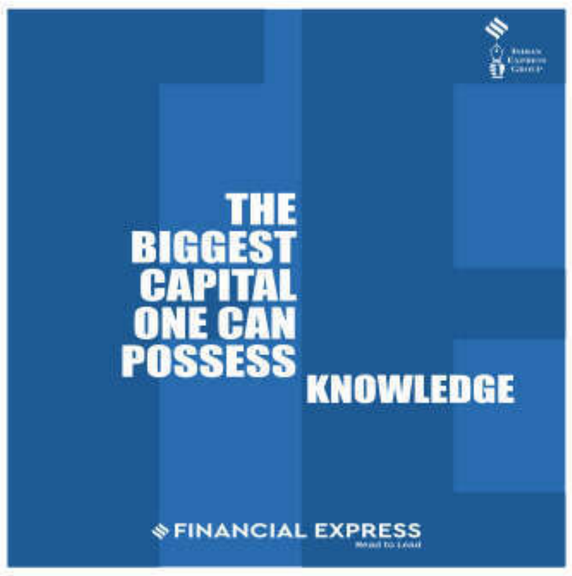

फार्म सं. 1

ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ
(क्षेत्राधिकार - उत्तर प्रदेश का भाग)
600/1 यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के पास, लखनऊ-226007

डीआरसी सं.694/2023/एलकेओ
ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 29 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम (2) के तहत नोटिस

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
श्री संजय साहू और अन्य

सेवा में

1. **श्री संजय साहू पुत्र श्री अनिल कुमार साहू** निवासी सी-4, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-II, गौर प्लाजा के सामने, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)। अन्य पता: एफ-3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन- II] ग्राम पसोंदा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
2. **श्रीमती रुचि राठौर पत्नी श्री संजय साहू** निवासी सी-4, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-II, गौर प्लाजा के सामने, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।अन्य पता: मकान संख्या 137, कंचन भवन के पास, महेंद्र नगर, कोली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
3. **डी दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स, मालिक श्री संजय साहू** और श्री अनिल कुमार साहू के माध्यम से, निवासी सी-4, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन- प, गौर प्लाजा के सामने, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)। **अन्य पता:** सी-91, एफ-3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन- II, ग्राम पसोंदा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

यह सूचित किया जाता है कि 3420965.43/- रुपये (केवल चौंतीस लाख बीस हजार नौ सौ पैंसठ रुपये और तैंतालीस पैसे) (आवास ऋण खाते में 8% ब्याज सहित 2368744.40/- रुपये और नकद ऋण खाते में 10: ब्याज सहित 1052221.03/- रुपये) की राशि, जिसमें 28.05.2021 से ऋण के पूर्ण भुगतान तक लंबित और भविष्य का वार्षिक ब्याज, मासिक आधार पर, लागत सहित, माननीय न्यायाधिकरण द्वारा मूल आवेदन संख्या 282/2021 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्री संजय साहू और अन्य के मामले में दिनांक 17.10.2022 को पारित आदेश के अनुसार संयुक्त रूप से और अलग-अलग वसूल किया जाना है।

2.आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के बकाया ऋण की वसूली के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको **30/03/2026** को या उससे पहले हलफनामे पर संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4.आपको दिनांक **30/03/2026** को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

5.उपरोक्त राशि के अलावा आप निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे

लागत का विवरण

आवेदन शुल्क	: रु. 37,000/-
वकील की फीस	: रु. शून्य
प्रकाशन प्रभार	: रु. शून्य
विविध प्रभार	: रु. शून्य
लिपिकीय प्रभार	:-रु. शून्य

आज दिनांक 18 फरवरी 2026 को लखनऊ में मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से नोटिस जारी किया गया।

वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

फॉर्म संख्या 14
[विनियम 33(2) देखें]
रजि.ए/डी, दस्ती द्वारा, ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा

कार्यालय-वसूली अधिकारी I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
पहली मंजिल एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17ए, चंडीगढ़
(तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

मांग नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस

आरसी/103/2024 — **16.12.2025**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
श्रीमती सुमन देवी पत्नी

सेवा में ,

(सीडी 1) श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री अजयकुमार,
निवासी मकान संख्या पी-3, न्यू पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा-122001,
अन्य पता : श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री अजयकुमार, क्यू-31, न्यू पालम विहार (फेज -I), गुरुग्राम, हरियाणा

(सीडी 2) श्री अजय कुमार पुत्र श्री हरवीर, निवासी मकान संख्या पी-3, न्यू पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा, अन्य पता : श्री अजय कुमार पुत्र श्री हरवीर, निवासी क्यू-31, न्यू पालम विहार (फेज -I), गुरुग्राम, हरियाणा

(सीडी 3) श्री राजीव कुमार सैन, निवासी मकान संख्या 382, क्यू ब्लॉक, साउथ सिटी- I, गुड़गांव, हरियाणा।

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा ओए/3011/2018 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **3305971 रुपये (तैंतीस लाख पांच हजार नौ सौ इकहत्तर रुपये मात्र)** की राशि, मुकदमे के लंबित रहने और भविष्य के ब्याज सहित, 29/11/2018 से वसूली तक, 7% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से, और **36005 रुपये (छत्तीस हजार पांच रुपये मात्र)** के खर्चे, आप पर (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित रूप से) देय हो गई है।

(2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसूली बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।

(3) आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप शपथ पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले अ